अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि / जनप्र / 2018 / दिनांक :

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय एएनएम / जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र,
.... (राजस्थान)

विषय :– वर्तमान में संचालित पुराने / नवनिर्मित छात्रावासों के संचालन / कार्यव्यवस्था की सूचना प्रस्तुत करने बाबत्।

विषयान्तर्गत श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान ,जयपुर द्वारा आपके अधीन वर्तमान में संचालित छात्रावासों के संचालन / व्यवस्थाओं के संदर्भ में एवं नये छात्रावासों के शीघ्र संचालन हेतु नये लगाए जाने वाले स्टॉफ व पदों की संख्या तथा अन्य कन्टीजेन्सी (पानी, बिजली, टेलीफोन, स्टेशनरी व न्यूज पेपर इत्यादि) की सूचना पृथक–पृथक प्रपत्र में तैयार कर दो दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपको लेख है कि उक्तानुसार वांछित सूचना पृथक–पृथक तैयार कर दो दिवस के अन्दर–अन्दर मेल आई.डी. **jd55training@gmail.com** पर भिजवाते हुए हार्ड कॉपी में विशेष वाहक के साथ निर्धारित समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करे।

उक्त सूचना में निम्न जानकारी का उल्लेख करे :–

1. पुराने छात्रावास कब से संचालित है तथा छात्रावास में कुल कितने छात्र / छात्राए रह रही है?
2. पुराने छात्रावास में स्टॉफ की क्या व्यवस्था है?
3. छात्रावास में मैस संचालन की क्या व्यवस्था है?
4. पुराने छात्रावासों में पानी, बिजली, टेलीफोन, स्टेशनरी व न्यूज पेपर इत्यादि का भुगतान किस प्रकार से व किस स्तर से किया जा रहा है?

उल्लेखनीय है कि यदि किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर पुरूष एवं महिला छात्रों के लिए अलग–अलग छात्रावास संचालित है तो ऐसी स्थिति में बिन्दुवार उक्त सूचना पृथक–पृथक तैयार कर भिजवावे।

(डॉ0 घनश्याम)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि / जनप्र / 2018 / 1078 दिनांक : 6/4/18

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान ,जयपुर को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत है।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ,/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवाने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित करते हुए सूचना समय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालया को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को आज विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को मेल करने का श्रम करे।

(डॉ0 घनश्याम)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर